

राजस्थान उच्च न्यायालय की भर्तियाँ

जो अभ्यर्थी न्यायिक क्षेत्र में जिला एवं सत्र न्यायाधीश (D.J.), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट केडर के पद पर नियुक्त होकर पदोन्नति से उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर पहुँचने की तमन्ना रखते हैं उनके लिए राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा एक बेहतर विकल्प है। न्यायिक पदों पर भर्ती हेतु राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा दो प्रतियोगिता परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं।

4.1 राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा (सिविल जज केडर) 4.2 राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा (डी.जे. केडर)

4.1 राजस्थान न्यायिक सेवा (सिविल जज केडर) परीक्षा

इस परीक्षा को सामान्यतः आर.जे.एस. के नाम से जाना जाता है। इस परीक्षा के माध्यम से चयनित अधिकारी प्रशिक्षण उपरान्त सिविल जज एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट के पद नियुक्त होकर अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट या समकक्ष पद, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीश के पद तक पदोन्नति प्राप्त करते हैं। इस परीक्षा की भर्ती प्रक्रिया इस प्रकार है :-

1. **आवेदन प्रक्रिया** : राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा योग्य अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाते हैं। जिनकी तत्समय विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट www.hcraj.nic.in पर उपलब्ध रहती है।

2. आवेदन के लिए योग्यताएँ (पात्रता) :-

आयु	अभ्यर्थी की कम से कम 23 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष की आयु हो। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार ऊपरी आयु में 5 वर्ष की छूट देय है।
शैक्षणिक योग्यताएँ	<ul style="list-style-type: none"> आवेदक विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से बेचलर ऑफ लॉ (L.L.B./BA. LLB/B.Sc. LLB/BBA LLB) डिग्री धारक हो। जो आवेदक अंतिम वर्ष या अंतिम सेमेस्टर में अध्ययनरत है उन्हें मुख्य परीक्षा में प्रविष्ट होने से पूर्व डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करना जरूरी है। अभ्यर्थी को राजस्थानी बोलियों एवं सामाजिक रीति-रिवाज की जानकारी होनी चाहिए।

3. परीक्षा पद्धति : यह परीक्षा तीन चरणों में आयोजित की जाएगी। (1) प्रारम्भिक परीक्षा (2) मुख्य परीक्षा तथा (3) साक्षात्कार।

परीक्षा के चरण	परीक्षा प्रक्रिया का विवरण			
(i) प्रारम्भिक परीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> इस परीक्षा में 100 अंक का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे तथा 2 घंटे की समयावधि होगी। प्रश्न पत्र केवल क्वालिफाईंग होगा जिनके आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा जिसके अंक मुख्य परीक्षा में नहीं जोड़े जाएंगे। इस प्रश्न पत्र में 70 प्रतिशत प्रश्न मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र-प्रथम एवं द्वितीय के पाठ्यक्रम में से तथा 30 प्रतिशत प्रश्न हिन्दी व अंग्रेजी भाषा के पाठ्यक्रम में से पूछे जाएंगे। प्रारम्भिक परीक्षा में आरक्षित वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अंक तथा शेष श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक लाना जरूरी होगा। 			
(ii) मुख्य परीक्षा	<ul style="list-style-type: none"> इस प्रश्न पत्र में प्रश्न निबंधात्मक या वर्णनात्मक होंगे। भाषा प्रश्न पत्र के अलावा अभ्यर्थी हिन्दी या अंग्रेजी में उत्तर लिख सकेगा। 			
	मुख्य परीक्षा का प्रारूप			
	प्रश्न पत्र	विषय	अंक	समयावधि
	प्रथम	विधि :- सिविल प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान तथा सिविल कानून संबंधी	100	3 घंटे
	द्वितीय	विधि :- अपराध प्रक्रिया संहिता, आईपीसी, साक्ष्य अधिनियम सहित अपराधिक कानून संबंधी।	100	3 घंटे
	प्रश्न पत्र भाषा-प्रथम	भाषा हिन्दी निबंध	50	2 घंटे

	प्रश्न पत्र भाषा—द्वितीय	भाषा अंग्रेजी निबंध	50	2 घंटे
(iii) साक्षात्कार	<p>➤ कानून के प्रश्न पत्र में 30 प्रतिशत अंक तथा समग्ररूप से 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी साक्षात्कार के लिए क्वालिफाई होंगे। अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों को भी दोनों स्तर पर 35 व 40 प्रतिशत अंक साक्षात्कार हेतु क्वालिफाई करने के लिए प्राप्त करने होंगे।</p> <p>➤ मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले तथा रिक्त पदों के अनुसार 2 से 3 गुणा अभ्यर्थियों को राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा साक्षात्कार में आमंत्रित किया जाएगा।</p> <p>➤ साक्षात्कार 35 अंक का होगा जो राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित बोर्ड द्वारा लिया जाएगा।</p> <p>➤ साक्षात्कार में अभ्यर्थी के सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर्स एवं समसामयिक मुद्दों के संबंध में ज्ञान अभ्यर्थी की शैक्षणिक पृष्ठभूमि, चरित्र एवं व्यक्तित्व तथा उसका राजस्थानी बोलियों व राजस्थान की सामाजिक परम्पराओं के ज्ञान के बारे में बोर्ड द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा।</p>			
(iii) अंतिम	<p>➤ मुख्य परीक्षा के 300 अंक एवं साक्षात्कार के 35 अंक में से प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट का निर्धारण किया जाकर चयन किया जाएगा।</p>			

4.2 राजस्थान उच्चतर न्यायिक सेवा (जिला न्यायाधीश केडर भर्ती) परीक्षा

(i) आयु	न्यायाधीश भर्ती परीक्षा में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 35 वर्ष एवं अधिकतम आयु 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आरक्षित वर्ग को नियमानुसार ऊपरी आयु में छूट देय है।
(ii) शैक्षणिक योग्यता	<ol style="list-style-type: none"> अभ्यर्थी किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कानून में स्नातक डिग्री हो। अभ्यर्थी को वकालत का कम से कम 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

(iii) परीक्षा पद्धति का विवरण

(a) प्रारम्भिक परीक्षा	इस परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रकार के 150 अंक के 150 प्रश्न पूछे जाएँगे जिसकी समयावधि 180 मिनट रहेगी।		
(b) मुख्य परीक्षा	प्रश्न पत्र	अंक	समयावधि
	प्रथम—विधि	100	3 घंटे
	द्वितीय—विधि	100	3 घंटे
	तृतीय—विधि	100	3 घंटे
	चतुर्थ—लेखन कौशल (हिन्दी एवं अंग्रेजी) एवं समसामयिक कानूनी ज्ञान	100	3 घंटे
	मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र विवरणात्मक या निबंधात्मक होंगे।		
(c) साक्षात्कार	मुख्य परीक्षा में भर्ती एजेंसी द्वारा निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त करने पर वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु बुलाया जाता है जिनका 50 अंक का साक्षात्कार होगा। राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा गठित बोर्ड द्वारा साक्षात्कार लिया जाएगा।		
(d) अंतिम चयन	मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार के अंकों के आधार पर अंतिम चयन किया जाएगा।		

4.3 राजस्थान न्यायिक सेवाओं की तैयारी हेतु रणनीति:—

- जो विद्यार्थी न्यायिक क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, जो भविष्य में न्यायिक सेवा अधिकारी, न्यायाधीश या एडवोकेट, वकील आदि बनना चाहते हैं उन्हें यथासंभव 10+2 कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद उपलब्ध विभिन्न कानूनी डिग्री कोर्स में से रुचि का कोई कोर्स करने चाहिए ताकि उसका ध्यान शुरू से ही अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने में रहे। यह भी सही है कि डिग्री कोर्स के बाद कानून में स्नातक डिग्री करने वालों

- से 10+2 कक्षा के बाद ऑनर्स कोर्स (कानून) करने वाले ज्यादा फायदेमंद रहते हैं इसलिए न्यायिक सेवाओं में जाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह रणनीति अपनानी चाहिए।
2. डिग्री कोर्स के बाद राजस्थान न्यायिक सेवा (सिविल जज केडर एवं जिला न्यायाधीश केडर) की दोनों परीक्षाओं के पाठ्यक्रम एवं परीक्षा पद्धति में भी बहुत हद तक समानता है इसलिए दोनों परीक्षाओं की एक साथ तैयारी करने की कार्य योजना बनानी चाहिए।
 3. इन परीक्षाओं की तैयारी हेतु परीक्षा के पूर्व के वर्षों के प्रश्न पत्र एवं परीक्षा के पाठ्यक्रम का गहनता से अध्ययन कर परीक्षा में सफलता हेतु रणनीति बनाएँ।
 4. प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में विधि सहित अन्य विषयवस्तु में कुछ हद तक समानता है इसलिए दोनों स्तरों की तैयारी साथ-साथ करें।
 5. प्रारम्भिक परीक्षा तथ्याधारित है इसलिए इस हेतु प्रारम्भिक परीक्षा से कुछ समय पहले केवल प्रारम्भिक परीक्षा की तैयारी को फोकस करके तैयारी करें ताकि प्रथम बाधा पार करके मुख्य परीक्षा की तरफ बढ़ा जा सके।
 6. मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु स्तरीय पुस्तकों एवं पुराने व नवीनतम न्यायिक निर्णयों का अध्ययन करें एवं उन पर प्रतियोगी समूह में चर्चा करें ताकि ऐसे निर्णयों के संबंध में संतुलित दृष्टिकोण बनाया जा सके।
 7. मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु अधिकाधिक लेखन का अभ्यास करते हुए मॉडल प्रश्न पत्रों को हल करें जिससे भाषा शैली में तारतम्यता, सरलता एवं प्रवाह कौशल का समावेश होगा जिससे अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।
 8. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा के प्रश्न पत्र की तैयारी हेतु दोनों विषयों की उच्चस्तरीय पुस्तकों का अध्ययन करने के साथ ही दोनों भाषाओं के एक-एक समाचार पत्र का निरंतर पठन करें।
 9. न्यायिक सेवा से जुड़े अधिकारियों, अनुभवी विधि विशेषज्ञ, वकील आदि से पाठ्यक्रम में शामिल कानून को व्यापक रूप से समझने हेतु चर्चा करें। उनसे चर्चा एवं विश्लेषण के आधार पर विधि विषयों पर पकड़ मजबूत बनाए।

4.3 राजस्थान उच्च न्यायालय के अधीन अन्य भर्तियाँ

राजस्थान उच्च न्यायालय एवं उसके अधीन विभिन्न न्यायालयों में मंत्रालयिक पदों पर भी भर्ती राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा की जाती हैं।

पद का नाम	पात्रता	भर्ती प्रक्रिया
(1) जूनियर न्यायिक सहायक (JJA) (2) क्लर्क ग्रेड- II (3) कनिष्ठ सहायक (JA)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ स्नातक डिग्री धारक हो। ➤ कम्प्यूटर का आधारभूत ज्ञान हो। ➤ आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष हो। 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ भर्ती प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी। <ul style="list-style-type: none"> (अ) लिखित परीक्षा (ब) टाइप राइटिंग टेस्ट (कम्प्यूटर पर) (अ) लिखित परीक्षा का प्रारूप-भाग (ए) हिन्दी, भाग (बी) अंग्रेजी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम होगा। (ब) टाइप राइटिंग टेस्ट- <ol style="list-style-type: none"> 1. टेस्ट (हिन्दी)-5 मिनट 25 अंक। 2. स्पीड टेस्ट (अंग्रेजी)-5 मिनट 25 अंक। 3. दूसरा टेस्ट (कौशल परीक्षण)-10 मिनट 50 अंक। • लिखित परीक्षा एवं टाइपटेस्ट में प्राप्त योग के आधार पर मेरिट बनाकर अंतिम चयन किया जाता है।
(4) आशुलिपिक ग्रेड- III	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 10+2 कक्षा किसी भी संकाय से उत्तीर्ण हो। ➤ कम्प्यूटर में डिग्री या डिप्लोमा। 	<p>अंग्रेजी शीघ्रलिपि टेस्ट-</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 6 मिनट में 80 भाब्द प्रति मिनट की गति से लिखना ➤ कम्प्यूटर पर अंग्रेजी पेरेग्राफ को टाइप करना-50 मिनट ➤ स्पीड टेस्ट-10 मिनट में 50 भाब्द टाइप करना ➤ दक्षता परीक्षण
(5) कनिष्ठ विधि अधिकारी (विधि एवं विधिक)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ आयु-21 से 40 वर्ष तक ➤ शैक्षिक योग्यता :- मान्यता प्राप्त संस्थान से विधि 	<ul style="list-style-type: none"> • इस पद हेतु चयन प्रक्रिया दो चरणों में सम्पन्न होगी। • प्रथम चरण में लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण में साक्षात्कार होगा। (a) लिखित परीक्षा के चार प्रश्न पत्र (1) भारतीय संविधान न्याय व्यवस्था, (2) दण्ड प्रक्रिया संहिता के विशेष प्रावधान, (3) साक्ष्य अधिनियम एवं अन्य कानून, (4) भाषा हिन्दी व अंग्रेजी। • प्रत्येक प्रश्न पत्र 50-50 अंक का होगा।

कार्य विभाग) (J.L.O.)	में स्नातक डिग्री धारक हो।	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक लाने अनिवार्य है लेकिन आरक्षित वर्ग को नियमानुसार उत्तीर्णांक में छूट है। (a) साक्षात्कार 25 अंक का होगा जो आयोग द्वारा गठित बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा 200 अंक एवं साक्षात्कार के 25 अंक मिलाकर कुल 225 अंक के आधार पर मेरिट बनाकर किया जाएगा।
(6) विधि रचनाकार	<ul style="list-style-type: none"> विधि में स्नातक डिग्री हो। स्नातक स्तर पर हिन्दी एवं अंग्रेजी में से कोई एक विषय ऐच्छिक विषय रहा हो। 	<ul style="list-style-type: none"> इस पद हेतु वर्णनात्मक लिखित परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे जो 200 अंक के होंगे यथा :— (1) अंग्रेजी से हिन्दी या संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा का अनुवाद—100 अंक (2) हिन्दी से अंग्रेजी या संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा का अनुवाद—100 अंक (3) साक्षात्कार 25 अंक।
(7) सहायक लोक अभियोजक (APP) द्वितीय श्रेणी	<ul style="list-style-type: none"> विधि में स्नातक डिग्री हो। किसी भी बार में दो वर्ष का अनुभव हो। 	<ul style="list-style-type: none"> चयन परीक्षा दो चरणों में होगी जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार होगा यथा :— 1. लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होंगी। 2. लिखित परीक्षा के दो प्रश्न पत्र होंगे। (1) प्रथम प्रश्न पत्र कानून संबंधित एवं (2) द्वितीय प्रश्न पत्र हिन्दी से अंग्रेजी या संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा में अनुवाद 3. साक्षात्कार 25 अंक का होगा जो आयोग द्वारा गठित बोर्ड द्वारा लिया जाएगा। 4. अंतिम चयन 225 अंकों में से प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा।

“किसी सार्थक काम के लिए कड़ी मेहनत करने का मौका मुहैया कराकर जिदंगी हमें सबसे बड़ा ज्ञान देती है।।”

थिओडोर रूजवेल्ट

ये हौसलों की उड़ान है, रुकना नहीं, आगे पूरा आसमान है, रुकना नहीं,